नवीन महाविद्यालय .... विकास समिति ....

समिति के निमय/उपनियम

1.1 समिति का नाम

इस समिति का नाम राजकीय महाविद्यालय .... विकास समिति है व रहेगा।

1.2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र

इस समिति का पंजीकृत कार्यालय राजकीय महाविद्यालय .... है तथा कार्य क्षेत्र स्थान .... तक समिति होगा।

1.3 समिति के उद्देश्य

इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु स्थाई विकास कोष, चल व अचल सम्पत्ति का संग्रहण/निर्माण व वृद्धि करना व उनका प्रबन्ध करना।
2. महाविद्यालय में विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु शुल्कों का निर्धारण करना।
3. महाविद्यालय में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाना तथा उनका संवर्धन करना।
4. महाविद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखने हेतु कार्यवाही करना।
5. जनसहयोग/दानदाता/ट्रस्ट/सांसद एवं विधायक विकास कोष से (इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित नियमों के अनुसार) राशि प्राप्त कर महाविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य करवाना।
6. महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार फर्नीचर/उपकरण आदि उपलब्ध करवाना।
7. पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं आदि का विकास करना।
8. निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायकता प्रदान करना।
9. बाहर से आने वाले छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करवाना तथा उनका प्रबन्ध करना।
10. महाविद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना।
11. खेलकूद की आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
12. छात्रों को राष्ट्रीय जन चेतना के कार्यक्रमों में भाग लेने को प्रोत्साहित करना।
13. रचनात्मक एवं उच्च कोटि की सह–शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन।
14. प्राध्यापक अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
15. छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने हेतु विशेष कक्षाऐं संचालित करना।
16. महाविद्यालय विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि का महाविद्यालय हित में उपयोग।
17. वित्तीय संस्थाओं, दानदाताओं, व्यवसाइयों एवं उद्योगपतियों आदि से उपरोक्त कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु सहायता, चन्दा, धनराशि, उपकरण एवं भवन आदि प्राप्त करना।
18. महाविद्यालय परिसर में शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयास एवं प्रबन्ध करना।
19. महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की समस्याओं के निराकरण तथा उनके केरियर एडवान्समेन्ट हेतु छात्र परामर्श केन्द्र स्थापित करना तथा उसका प्रबन्ध करना।
20. महाविद्यालय के समुचित विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना।
21. महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय/वर्ग प्रारम्भ करने तथा स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्न करने आदि सम्बन्धित योजनाएँ संचालित करना तथा इन योजनाओं क्रियान्विति में महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी को क्रमशः यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं उपयुक्तता के अनुसार चयन कर रखना।
22. महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्रों के हित में स्थानीय उद्योगों से समन्वय स्थापित करना तथा इन उद्योगों के द्वारा महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/शोध प्राजोजित कराने हेतु प्रयास करना।

23. छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विशेष योग्यता अर्जित करने तथा खेलकूद एवं अन्य सह–शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष उपलब्धी प्राप्त करने पर अभिनन्दन करना तथा शैक्षणिक एवं सह–शैक्षणिक गतिविधियों में रूचि पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा योग्य छात्रों के लिए जनसहयोग से संचालित छात्रवृति योजना क्रियान्वित करना।

24. महाविद्यालय में समर्पण भाव से श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्राचार्य/उपाचार्य/ प्राध्यापकों/ कर्मचारियों को सम्मानित करना तथा जिला/राज्य स्तरीय सम्मान हेतु अनुशंसा करना।

25. महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का महाविद्यालय से जुडाव कायम करने तथा उनसे आर्थिक तथा अन्य सहायेग प्राप्त करने हेतु प्रयास करना तथा वार्षिक समारोह आयोजित करना।

26. उच्च शिक्षा में महिलाओं/अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढाने हेतु प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं के संदर्भ में संवेदनपूर्वक विचार करना।

27. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में भवनों का निर्माण निदेशालय द्वारा निर्धारित डिजाइन मेप के आधार पर कराया जावेगा तथा इसके लिए धनराशि की व्यवस्था जनसहयोग/दानदाता/सांसद एवं विधायक विकास कोष (इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित नियमों के अनुसार) आदि स्त्रोतों से की जावेगी। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव निदेशालय कॉलेज शिक्षा को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करेगी।

28. महाविद्यालय संचालन हेतु आवर्ती/अनावर्ती व्यय की व्यवस्था समिति कोष/जन सहयोग/दानदाता तथा छात्र/छात्राओं से प्राप्त होने वाले शुल्क आदि से की जावेगी।

29. समिति की समस्त सम्पत्ति महाविद्यालय की होगी।

1.4 विकास समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं सदस्यों का कार्यकाल :

1. पदेन अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद पर रहने तक। पद से स्थानान्तरण, सेवानिवृति या हटने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
2. मनोनीत सदस्यों के लिए :– तीन वर्ष। लेकिन वे तीन वर्ष के लिए पुनः मनोनीत किये जा सकते हैं। लेकिन मनोनयनकर्ता की अभिशंसा पर समिति निर्धारित अवधि के पूर्व भी सदस्यता समाप्त कर सकती है।
3. छात्रसंघ पदाधिकारी/मनोनीत छात्र सदस्य– एक शैक्षणित सत्र। सत्र समाप्ति पर सदस्यता स्वतः ही समापत हो जावेगी।
4. सहवरित सदस्यों के लिए–1 वर्ष

1.5 विकास समिति के अधिकार और कर्तव्य :
संस्था की प्रबन्ध समिति के निमनलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :–

1. समिति द्वारा संचालित योजनाओं का वार्षिक बजट तैयार करना।
2. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
3. योग्यताधारी व्यक्तियों का चयन करते समय आवश्यकतानुसार वेतन का निर्धारण करना एवं भुगतान करना।
4. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।
5. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे अन्य कार्य जो महाविद्यालय के हितार्थ हों, करना।
6. महाविद्यालय के सर्वागीण विकास हेतु योजनाएँ तैयार कर क्रियान्वित करना।
7. छात्र कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ करना एवं उनका संचालन करना।
8. विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास करना।

1.6 विकास समिति की बैठकें :

1. विकास समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. विकास समिति की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व निर्धारित समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैटक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।

1.7 विकास समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

महाविद्यालय विकास समिति के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

(अ) अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर अपने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
5. ऐसे अन्य कार्य जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हों।
6. विकास समिति द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।
7. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।
8. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
9. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में रखे गये कर्मचारियों पर नियंत्रण करना।

(ब) सदस्य–सचिव

1. बैठकों आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. पत्र व्यवहार करना।
4. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
5. विकास समिति द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।
6. समिति के द्वारा किये जाने वाली क्रय एवं भवन निर्माण आदि का सम्पादन राजकीय नियमों के अनुसार प्रबन्ध समिति से अनुमोदित करवाकर सम्पादित करना।
7. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

(स) कोषाध्यक्ष

1. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित वेतन के अनुसार भुगतान करना।
2. समिति का सम्पूर्ण लेखा–जोखा रखना।
3. समिति के लेखा–जोखा का विधिवत् अंकेक्षण करवाना, अंकेक्षण रिपोर्ट विकास समिति की बैठक में प्रस्तुत करना व निदेशालय में भिजवाना।
4. विकास समित द्वारा संचालित योजनाओं की सम्भावित लागत का विवरण तैयार कर समिति के सामने प्रस्तुत करना।

1.8 सदस्यता से निष्कासन :

संस्था के सदस्यों का निष्काषन :

1. मृत्यु होने पर
2. स्थानान्तरा हो जाने पर
3. त्यागपत्र देने पर
4. छात्र प्रतिनिधि–महाविद्यालय छोड़ने पर अथवा उपस्थिति की कमी के कारण स्वयंपाठी हो जाने पर अथवा दुराचरण करने पर अथवा महाविद्यालय से निष्कासित होने पर
5. समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
6. मनोनीत/सहवरित सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करते हैं तो उनकी सदस्यता समयावधि पूर्व ही समाप्त की जा सकती है।

1.9 **समिति का कोष**

संस्था का कोष निम्नप्रकार से संचित होगा।

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. समिति कोष की जमा से प्राप्त ब्याज/अन्य लाभ

नोट :

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जावेगी।
2. बैंक से लेन–देन अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से सम्पाति किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में विकास समिति द्वारा निर्धारित सीमा में अध्यक्ष बैंक के साथ लेन–देन कर सकेगा।
3. विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि के उपयोग/व्यय में नियमानुसार निर्धारित नियमों का पालन किया जावेगा।

1.10 **कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार**

महाविद्यालय के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष समिति की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगा। इस राशि का अनुमोदिन विकास समिति से कराया जाना आवश्यक होगा।

1.11 **समिति के लेखों का अंकेक्षण**

अंकेक्षक की नियुक्ति विकास समिति द्वारा की जावेगी। समिति के समस्त लेखों–जोखों का वार्षिक विधिवत् अंकेक्षण कराया जावेगा तथ अंकेक्षण रिपोर्ट विकास समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जावेगी एवं अनुमोदित रिपोर्ट निदेशालय को भिजवायी जानी आवश्यक होगी।।

1.12 **समिति के विधान में परिवर्तन**

समिति के विधान में आवश्यकतानुसार विकास समिति के कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्टरीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

1.13 **समिति का विघटन**

यदि समिति का विघटन करना आवश्यक हुआ, तो राजस्थान संस्था रजिस्टरीकरण अधिनियम 1958 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। विघटन की सूचना निदेशालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करनी होगी तथा समिति की समस्त चल व अचल सम्पत्ति महाविद्यालय/राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी जावेगी।

1.14 **समिति के लेखे–जोखे का निरीक्षण**

निदेशक कॉलेज शिक्षा एवं रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं, जयपुर को संस्था के रिकोर्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की क्रियान्विति हेतु समिति निर्णय लेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) राजकीय महाविद्यालय ....) विकास समिति की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष सदस्य सचिव

परिशिष्ट - 6

नवीन संकाय/विषय/वर्ग की अनुमानित लागत

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	संकाय/विषय/वर्ग	प्रथम 3 वर्षों का राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय (भवन आदि)	योग
1	2	3	4	5
1.	कला/वाणिज्य/संकाय	9.00	9.00	18.00
2.	विज्ञान संकाय	40.00	38.00	78.00
3.	कला/वाणिज्य संकाय में एक विषय	4.00	6.00	10.00
4.	विज्ञान संकाय में एक विषय	10.00	11.00	21.00
5.	कला में वाणिज्य संकाय में एक वर्ग	4.00	6.00	10.00
6.	विज्ञान संकाय में एक वर्ग	8.00	11.00	19.00